

बिहार परिचारिका निबंधन परिषद्, पटना।

स्वास्थ्य विभाग,

आदेश

पत्रांक: सं0सं0-562 / बी0एन0आर0सी0 / 2020 / ११५५/८८८८ पटना, दिनांक, २६.२.२३

सामाजिक कल्याण संस्था, मनोरग नगर, बेरोड़ा वैष्णव, धनबाद द्वारा रांचालित को०को०इंस्टीच्यूट

ऑफ नर्सिंग(जी०एन०एम० ड्रेनिंग स्कूल), बेरोड़ा, नेपुरा, बिहारशरिफ, नालन्दा-803115 के अन्तर्गत जी०एन०एम० पाठ्यक्रम के संचालन हेतु शैक्षणिक वर्ष 2022-23 के अवधि विरतार के लिए विशागीय आदेश ज्ञापांक 483/बी०एन०आर०सी०, दिनांक 20.02.2023 के द्वारा डा० रत्णा शरण, अपर निदेशक(मुख्यालय), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना की अध्यक्षता में गठित पिशेषज्ञ समिति द्वारा भारतीय उपचर्या परिषद्, नई दिल्ली एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप संबंधित रांचान में उपलब्ध भौतिक संरचनाओं, मानव संसाधनों तथा अन्य सुविधाओं की जांचोपरांत अनुशंसा के आलोक में पूर्व के निर्धारित रीटों जी०एन०एम०-६०(सात) पर शैक्षणिक वर्ष 2022-23 के लिए नर्सिंग पाठ्यक्रम हेतु मान्यता का अवधि विरतार किया जाता है।

२-यह अवधि विस्तार जिला पदाधिकारी, नालन्दा से प्राप्त होने वाले निरीक्षण प्रतिवेदन के फलाफल से प्रभावित होगा।

३-प्रस्ताव में अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

ह/०-

निदेशक प्रमुख(नर्सिंग)
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।

ज्ञापांकसं0सं0-562 / बी०एन०आर०सी० / 2020 / ११५५/८८८८ पटना, दिनांक २०.०१.२०२३

प्रतिलिपि :- सचिव, को०को०इंस्टीच्यूट ऑफ नर्सिंग(जी०एन०एम० ड्रेनिंग स्कूल), बेरोड़ा, नेपुरा, बिहारशरिफ, नालन्दा-803115 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ के निजी सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सचिव, भारतीय उपचर्या परिषद्, नई दिल्ली को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- निवधंक, आर्यभट्ट ज्ञानविश्वविद्यालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- अपर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

१५२
२०५/१२
निदेशक प्रमुख(नर्सिंग)
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।